an>

Title: Regarding imposition of ban on the diesel taxies from plying in NCT of Delhi.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दिल्ली में ज्वलंत समस्या के बारे में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हालांकि यह दिल्ली सरकार का मामला है, उसकी लापरवाही के कारण पैदा हुआ है। मैं सदन का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं देश के कानून और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूं। दिल्ली में 60,000 टैक्सियां हैं, जिनमें 27,000 टैक्सियां डीजल की रजिस्टर्ड हैं जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आनन-फानन में बंद कर दिया है, प्रदूÂाण के नाम से बंद कर दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फतवा जारी किया, वह दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन की नौटंकी के कारण आनन-फानन में आर्डर जारी किया है। ऑनरेबल मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, वह स्वयं आईआईटी के स्टुडेंट हैं। आईआईटी की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में प्रदूÂषण छठे नंबर पर वाहनों से आता है। पहले नंबर पर पावर प्लांट, दूसरे नंबर पर एनसीआर में ईंट भट्टे, तीसरे पर पर औद्योगिक ईकाई, चौथे नंबर पर भवन निर्माण, पांचवें नंबर पर वेस्ट बर्निंग से प्रदूÂषण होता है। युनिवर्सिटी आफ बर्किंघम की रिपोर्ट कहती है, उन्होंने दिल्ली का सैम्पल लिया है, इसके अनुसार दिल्ली में वाहनों से केवल 14-18 प्रतिशत प्रदूÂषण फैलता है। इसके बावजूद सरकार की अकर्मण्यता के कारण, पिछली सरकार की अकर्मण्यता के कारण अदालतें सरकारें चलाने का काम करती रही हैं। वही काम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। 27,000 परिवार के लोग सड़कों पर कटोरा लेकर आ गए हैं। किसी ने दो महीने पहले टैक्सी खरीदी है, किसी ने छह महीने पहले टैक्सी खरीदी है और दिल्ली सरकार उन्हें रजिस्टर्ड करती रही, जबकि पिछले तीन सालों से सुप्रीम कोर्ट में केस था। सरकार द्वारा अपना पक्ष न रखने के कारण, ऐसी असंवेदनशील और ऐसी नौसिखिया सरकार का खामियाजा दिल्ली के गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे और सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष को रखे तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनर्विचार करे।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती किरण खेर, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री अशोक नेते, श्री सी.पी. जोशी, श्री रोड़मल नागर, श्री सुधीर गुप्ता, श्री निशिकांत दुबे, श्री अजय मिश्रा टेनी, श्री शिवकुमार उदासि, श्रीमती कृष्णा राज, सुश्री शोभा कारान्दलाजे, श्रीमती अंजु बाला, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, श्री पी.पी. चौधर, कुंवर पुÂपेन्द्र सिंह चंदेल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री रामदास तडस, श्री राम चरित्र निÂषाद, श्री देवजी एम. पटेल, श्री ए.टी. नाना पाटील, डॉ. वीरेन्द्र कुमार और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।